**Note for the Pad**

1. The Government of Haryana enacted the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 for providing civic amenities & infrastructure in unauthorized colonies. The act has been amended in the year 2021.
2. In Municipal Corporation, Manesar total 34 colonies have been identified out of which the Municipal Corporation has forwarded the proposal of only 4 colonies to declare them as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area. Out of these 4 colonies, three colonies namely, 7954 B-7 Colony Bhangrola, 8008 Shaheed Bhagat Singh Colony B-34 and 8076 Wazirpur B-44 in the Municipal Corporation, Manesar have been declared as civic amenities and infrastructure deficient area vide notification dated 25.07.2023. One colony namely 11807 Shiva Colony B-52 has been returned to Municipal Corporation, Manesar for re-examination. Further the action on the remaining 30 colonies will be taken after the receipt of proposal from the Divisional Commissioner, Gurugram Division.
3. In Municipal Council Pataudi Mandi 8 colonies were regularized in the year 2004.Further, two colonies namely Kureshee colony and Shiv sundra colony of were declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area vide notification dated 19.02.2014 and 28.09.2018, respectively. Furthermore, in MC Haily Mandi six colonies namely Baghwati colony, Chauhan Colony, Pandit Sita Ram Colony, Shiv Colony and Todapur Extension colony were declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area vide notification dated 15.04.2014 and one colony namely New Jaidev Exe. Colony was notified on 28.09.2018.Now,vide notification dated 11.07.2023 Municipal Committee Haily Mandi has been merged into the Municipal Council Pataudi Mandi. Accordingly8 colonies in Municipal Council Pataudi Mandi have been regularized and 9 colonies have been declared as civic amenities and infrastructure deficient area in Municipal Council Pataudi Mandi till date.At present thirteen colonies have been identified in Municipal Council Pataudi Mandi and the same will be considered for declared these colonies as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area after receipt of proposal from the District Municipal Commissioner, Gurugram.
4. Areas under Abadi Deh of the villages merged in Municipalities are considered as regularized in situ and built up areas outside Abadi Deh of the villages merged in Municipalities are being taken up for declaration as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area.
5. It is pertinent to mention here that the Municipal Corporation, Manesar has been constituted vide notification dated 24.12.2020 and its limit has been altered and re-defined vide notification dated 16.12.2022. Since, the controlled area stands already declared before constitution of the Municipal Corporation Manesar, hence the whole area within the limit of Municipal Corporation, Manesar (except Lal dora of villages) is controlled area. Therefore, the change of land use permission is required before approval of building plan in the controlled area. The Director, Urban Local Bodies approved six building plan for the Change of land use permission granted sites in the Municipal Corporation, Manesar. Further, now three colonies of Municipal Corporation, Manesar have also been declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area therefore now the building plan in these colonies will be approved by the Municipal Corporation, Manesar.
6. The details of building plan approval from 20.12.2020 to 30.06.2023 are as under;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **Name of MC** | **Number of Building plans approved in CLU Cases** | **Number of Building plan approved by the municipalities through Haryana Online Building Plan approval System/Manually**  |
|  | MC Manesar | 6 | - |
|  | MC Pataudi | 1 | 146 |
|  | MC Haily Mandi (which is now merged into the Municipal Council Pataudi Mandi) | 3 | 104 |

**नोट फार पैड**

1. हरियाणा सरकार द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे प्रदान करने के लिए हरियाणा नगरपालिका नागरिक अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम वर्ष 2021 में संषोधित किया गया है।
2. नगर निगम, मानेसर में कुल 34 कालोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से नगर निगम ने केवल 4 कालोनियों का प्रस्ताव नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित करने के लिए भेजा गया है। नगर निगम मानेसर की इन 4 कालोनियों में से, तीन कालोनियां नामतः 7954 बी-7 कालोनी भांगरोला, 8008 शहीद भगत सिंह कालोनी बी-34 और 8076 वजीरपुर बी-44 को अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया है। एक कालोनी नामतः शिवा कालोनी बी-52 को पुनः जांच के लिए नगर निगम मानेसर को वापस भेजा गया है। शेष 30 कालोनियों पर आगे की कार्यवाही मंडल आयुक्त, गुरूग्राम मंडल से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद की जाएगी।
3. नगर परिषद पटौदी मंडी में वर्ष 2004 में 8 कालोनियों को नियमित किया गया था। तथा, 2 कालोनियों नामतः कुरेशी कॉलोनी और शिव सुंद्रा कालोनी को क्रमषः दिनांक 19.02.2018 एवम् 28.09.2018 द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया। इसके उपरान्त, एमसी हेली मंडी में छहः कालोनियां नामतः बागवती कालोनी, चौहान कालोनी, पंडित सीता राम कालोनी, शिव कालोनी और टोडापुर एक्सटेंषन कालोनी को दिनांक 15.04.2014 और एक कालोनी नामतः न्यू जयदेव एक्सटेंषन की अधिसूचना दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब, दिनांक 11.07.2023 को अधिसूचना के माध्यम से नगर पालिका हेली मंडी को नगर परिषद पटौदी मंडी में विलय किया गया है। तदनुसार, नगर परिषद पटौदी मंडी में अब तक 8 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है और नगर परिषद पटौदी मंडी में अब तक 9 कालोनियां को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा, नगर परिषद पटौदी मंडी में 13 कालोनियां की पहचान की गई है जिनको जिला नगर आयुक्त, गुरूग्राम से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त इन्हें नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जाएगा।
4. नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को यथास्थान नियमित माना जाता है और नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के बाहर के निर्मित क्षेंत्रों को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित करने के लिए लिया जा रहा है।
5. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि नगर निगम, मानेसर का गठन दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना के माध्यम से हुआ है और इसकी सीमा को अधिसूचना दिनांक 16.12.2022 के द्वारा बदला और फिर से परिभाषित किया गया है। चुंकि, नियंत्रित क्षेत्र नगर निगम, मानेसर के गठन से पहले ही घोंषत है, इसलिए नगर निगम मानेसर में स्थित पूरा क्षेत्र (गांवों के लाल डोरा को छोड कर) नियंत्रित क्षेत्र है। इसलिए, नियंत्रित क्षेत्र में भवन योजना के अनुमोदन से पहले भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति आवष्यक है। निदेषक, शहरी स्थानीय निकाय ने नगर निगम, मानेसर में भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति वाली स्थल पर 6 भवन योजनाओं को मंजूरी दी है। एवम् अब नगर निगम, मानेसर की 3 कालोनियों को भी नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया है, अतः अब इन कालोनियों में भी भवन योजना को नगर निगम मानेसर से स्वीकृत करवाया जा सकता है।
6. 20.12.2020 से 30.06.2023 तक स्वीकृत भवन योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र0 सं0** | **नगरपालिकाओं का नाम** | **सीएलयू मामलों में भवन योजनाओं की स्वीकृति की संख्या** | **हरियाणा ऑनलाइन भवन योजना स्वीकृत प्रणाली के माध्यम/ हस्तचालितद्वारा स्वीकृत भवन योजनाओं की संख्या** |
|  | नगर निगम मानेसर  | 6 | - |
|  | नगर परिषद पटौदी मंडी  | 1 | 146 |
|  | नगर पालिका हेली मंडी (जो अब नगर परिषद पटौदी मंडी मे विलय हो गया है) | 3 | 104 |